फर्द अहकाम
(नियम–26)

मुकाम रायसिंहनगर

अज अदालत उप जिला कलक्टर

जोगेन्द्र कौर उर्फ मक्खन कौर बनाम सरकार

नं० [illegible] मुकदमा नं. 19/6/18

रस्म मुकदमा दुरुस्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक / 18 / दिनांक 19/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार–2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत [illegible] में प्रार्थीगण के नाम चक 16-17 NP की जमाबन्दी सम्वत 2067-70 के खाता नं. 11 में खातेदार जोगेन्द्र कौर उर्फ मक्खन कौर w/o दलीप सिंह अंकित है। जिसका नाम सुजान सिंह है। जिसकी जोगेन्द्र कौर उर्फ मक्खन कौर w/o सुजान सिंह की दुरूस्ती की जाने की अभिशंषा की है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिर्पोट दिनांक..................की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 16-17 NP के खाता नं. 11 में दर्ज खातेदार जोगेन्द्र कौर उर्फ मक्खन कौर w/o दलीप सिंह के स्थान पर जोगेन्द्र कौर w/o सुजान सिंह दुरूस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया। उपजिला लोक अदालत उपजिला कलक्टर न्याय आपके द्वार–2018 रायसिंहनगर कैम्प कोर्ट [illegible] उपखण्डाधिकारी (राजस्व) [illegible]	

Scanned by CamScanner